न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 86 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 147

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
जमाल हुसैन पुत्र हुसैन खान जाति मुसलमान निवसी वार्ड नम्बर 06 भटवाड़ा,मोयलो का वास,मूगड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.कमरूदीन पुत्र दीदारबक्श निवासी मूगड़ा 2.अफसाना पुत्री दीदारबक्श पत्नी फारुख खां निवासी गेननागाजी दरगाह के पीछे बालोतरा 3.खातुनी पुत्री दीदारबक्श पत्नी युसुफजी निवासी वशी तहसील वायद जिला पाली 4.जेतुन पुत्री दीदारबक्श पत्नी गनीखां निवासी वशी तहसील वायद जिला पाली 5.जुरकी पुत्री दीदारबक्श पत्नी शकूरखां निवासी इन्द्रोकली आसोतरा 6.जरीना पुत्री दीदारबक्श पत्नी रोशनखां निवासी गेमनागाजी दरगाह के पीछे बालोतरा 7.नसीर खां पुत्र हुसैन खां निवासी मूगड़ा 8.बिस्मिल्ला पत्नी दीदारवक्श निवासी मूगड़ा 9.मेहरून पुत्री रमजानखां पत्नी सलीम खां निवासी धारणा,सिवाना 10.रोशन पुत्र दीदारबक्श निवासी मूगड़ा 11.सलमान बानु पुत्री दीदारबक्श पत्नी तालबखांजी निवासी नौसर तहसील बायतु 12..साबिर खां पुत्र दीदार खां 13.फिरोज खां पुत्र हनीफखां 14.मेबूब खां उर्फ मेहबूब पुत्र हनीफ खां 15.यसुब खां पुत्र हनीफ खां 16.सलीम खां पुत्र हनीफ खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 06 भटवाड़ा मोयलो का वास,मूगड़ा तहसील पचपदरा 17.ह[illegible] पटवार हल्हा मूगड़ा 18.[illegible] तहसीलदार पचपदरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:50:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री रामेश्वरलाल गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश डाबी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2,3,5,6,9 व 11
3. श्री सूरजभानसिंह अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01,7,8,10,12,14 व 15
3. प्रतिवादी संख्या 04.13,17 व 18 एकपक्षीय

:–आदेशः–

दिनांक 04.7.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 516,519 व 568 कुल क्षेत्रफल 3.7716 हैक्टयर भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 16 की सह–खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी को धेरलू बोलचाल भाषा में जमालखां के नाम पुकारने के कारण विवादित भूमि में भी अशुद्व नाम दायर किया गया। जबकि वास्तविक नाम जमाल हुसैन है। अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में दायर अशुद्व नाम प्रविष्टि जमाल खां पुत्र हुसैन खां के स्थान पर सही नाम जमाल हुसैन पुत्र हुसैन खां इन्द्राज करवानें हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी का आवेदन–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्र्ड सम्मन तलब किया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुआ। अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश डाबी द्वारा विप्रार्थी संख्या 2,3,5,6,9 व 11 की तरफ से वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थी के आवेदन स्वीकार किए जाने पर सहमति दी गई। अधिवक्ता श्री सूरजभानसिंह द्वारा विप्रार्थी संख्या 01,7,8,10,12,14 व 15 की तरफ से वकालतनामा पेश कर इकबाली जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 04.13,17 व 18 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 16 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 516,519 व 568 कुल क्षेत्रफल 3.7716 हैक्टयर अवस्थित है। प्रार्थी का धरेलू बोलचाल भाषा में जमालखां नाम से पुकारे थे। विवादित भूमि में भी धेरलू बोलचाल भाषा [illegible] नाम दायर किया गया,जो कि रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज किया गया है,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन [illegible] रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि [illegible] प्रार्थी का वास्तविक नाम जमाल हुसैन दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। विवादित आराजी में प्रार्थी के गलत नाम इन्द्राज़ होने के कारण अपूरणीय क्षति हो रही है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:30:24 IST
Reason: SelfAttested

का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में अशुद्व नाम जमाल खां के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि जमाल हुसैन पुत्र हुसैन खां इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

5.विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी व विप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी का अपने हक–हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन विवादित आराजी में प्रार्थी का गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है,तो विप्रार्थी को आपति नहीं है।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 16 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 516,519 व 568 कुल क्षेत्रफल 3.7716 हैक्टयर अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम जमाल खां दर्ज हो रखा है। उक्त प्रविष्टि प्रार्थी की माता के फोत पर भरे गए वारिसान नामान्तकरण संख्या 1049 के द्वारा इन्द्राज हुआ है। जबकि प्रार्थी के वोटर कार्ड,आयकर विभाग द्वारा जारी पेन–कार्ड प्रति,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1975 की अंक तालिका प्रति,बालोतरा अरबन को–ऑपरेटिव लि.बालोतरा द्वारा बैक डायरी प्रति में प्रार्थी का नाम जमाल हुसैन पुत्र हुसैनखां दर्ज है तथा विवादित आराजी के सहखातेदार विप्रार्थी ने भी प्रार्थी के आवेदन–पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया तथा बहस में स्वीकार किया है कि प्रार्थी का विवादित आराजी में गलत नाम दर्ज हो रखा है। प्रार्थी के विवादित आराजी में अशुद्व नाम जमालखां के स्थान पर सही नाम जमान हुसैन पुत्र हुसैनखां दुरूस्त किया जाता है,तो विप्रार्थी को आपति नहीं है। इससे प्रमाणित होता है कि प्रार्थी का विवादित आराजी में अशुद्व नाम प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो प्रार्थी नाम दुरूस्ती करवाने का हकदार है। इसकी ताईद पत्रावली के संलग्न हल्का पटवारी मूगड़ा,भू अभिलेख निरीक्षक बालोतरा एवं उप तहसीलदार जसोल की संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 28.6.2023 से होता है,जिसमें स्वीकार किया है कि विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्व नाम दायर हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जमाल हुसैन पुत्र हुसैनखां है उक्तानुसार नाम शुद्वि करने की अनुशंसा की गई है। ऐसी सूरत में प्रार्थी अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि में अपना अशुद्व नाम जमाल खां के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि जमाल हुसैन पुत्र हुसैन खां दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:50:24 IST
Reason: SelfAttested

:आदेश:

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–मूगड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 516,519 व 568 कुल

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

क्षेत्रफल 3.7716 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का अशुद्व नाम प्रविष्टि जमालखां पुत्र हुसैनखां के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि जमाल हुसैन पुत्र हुसैन खां दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 04.7.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:50:24 IST
Reason: SelfAttested